संख्या-189के-2/22-3-2024-17(325)/24

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 24 जनवरी, 2025**

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-5781/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-22.02.2024), दिनांक-01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त पत्र की तालिका के क्रमांक-20 पर अंकित जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, निवासी-चौबारा, थाना-पूराकला, जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाइसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ/अंतिम निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, चौबारा, थाना-पूराकला, जनपद-ललितपुर का निवासी है। दिनांक 24.07.2008 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ कुल्हाड़ी व तमंचे से गोली मारकर राजभान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-25/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149, 379/411 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, ललितपुर के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 21.01.2024 के अनुसार बंदी की आयु 56 वर्ष लगभग है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 24.07.2008 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ कुल्हाड़ी व तमंचे से गोली मारकर राजभान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी (बंदी संख्या-409/2023) पुत्र श्री हल्कू यादव, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-189(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-09-2024 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-18201/2024 शंकर उर्फ दद्दी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 एवं 03-01-2025 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-189के-2/22-3-2024-17(325)/24

दिनांक 24 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, चौबारा, थाना-पूराकला, जनपद-ललितपुर का निवासी है। दिनांक 24.07.2008 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ कुल्हाड़ी व तमंचे से गोली मारकर राजभान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-25/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149, 379/411 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, ललितपुर के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट दिनांक 21.01.2024 के अनुसार बंदी की आयु 56 वर्ष लगभग है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 24.07.2008 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ कुल्हाड़ी व तमंचे से गोली मारकर राजभान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शंकर उर्फ दद्दी पुत्र श्री हल्कू यादव, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा उक्त बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।